न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4454/2003/बारां

1— रामनाथ पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा निवासी लेवा तहसील व जिला बारां।

—अपीलांट

बनाम

1— रामेश्वर पुत्र रतनलाल जाति बैरवा निवासी लेवा तहसील व जिला बारां।

2— गोपाल पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा निवासी खानपुरिया तहसील अटरू जिला बारां।

3— सूरजमल पुत्र अमरलाल जाति बैरवा निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां।

4— केदारलाल पुत्र अमरलाल

5— नट्टीबाई बेवा अमरलाल

6— छीतरलाल पुत्र मोतीलाल

7— जमनाबाई बेवा रतनलाल जाति बैरवा हाल पत्नी नन्दलाल जाति बैरवा निवासी खोडली (रारोती) तहसील बारां जिला बारां।

8— राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बारां जिला बारां।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांट।

श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः— 20.08.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 249/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26—06—2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 188 एवं धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लेवा तहसील बारां के माल में खसरा संख्या 49 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 223 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 278 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 140/365 रकबा 10 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी के मूल खातेदार धन्नालाल थे, उनकी मृत्यु के उपरांत विवादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी के खाते में दर्ज हुई। वादी के पिता का नाम रतनलाल था किन्तु राजस्व रिकार्ड में सहवन से धन्नालाल अंकित कर दिया गया जो दुरूस्त किया जावें। प्रतिवादी संख्या 8 जमनाबाई, जिसे इस अपील में पक्षकार नहीं बनाया है क्योंकि वह फौत हो चुकी है जिसके वारिसान रिकार्ड पर है, नाते चली गई है। इसलिए इसका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वादी का हिस्सा पृथक किया जावें। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वाद के कथनों से इंकार किया तथा वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.2002 द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2003 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं कि वादी की माता रतनलाल की मृत्यु उपरांत अन्य जगह नाते चली गई थी तथा वादी भी साथ में चला गया था, इसलिए वादी का कभी भी उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना

ही किसी प्रकार का सरोकार ही रहा, ना ही वादी का कोई हक, हकूक उक्त आराजी में निहित रहे। धन्नालाल के दो पत्नियां थी एक पत्नी से श्योलाल, रामनाथ व रतनलाल थे तथा दूसरी पत्नी से गोपाल, अमरलाल एवं मोतीलाल थे, श्योलाल की लाऔलाद मृत्यु हो गई। जिसके हिस्से को लेकर विवाद है। जबकि श्योलाल अपीलांट के पास ही रहता था तथा उसकी सार संभाल भी अपीलांट ने ही की थी तथा उसकी आराजी पर अर्से दराज से काबिज काश्त है। अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी तनकी पर निर्णय पारित किए तथा आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किए गए काउंटर क्लेम पर न तो कोई तनकी ही बनाई और ना ही कोई निर्णय पारित किया। उक्त तथ्यों को अधी0न्याया0 ने अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया था जिस पर तनकी बनाते हुए काउंटर क्लेम को स्वीकार किया जाना न्यायोचित था परंतु विचारण न्यायालय ने काउंटर क्लेम पर किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया अर्थात् ना तो काउंटर क्लेम को स्वीकार किया और ना ही उसको खारिज किया गया, इसलिए अधी0न्याया0 का निर्णय, निर्णय ना होकर अपूर्ण था, जिसकी अनदेखी करते हुए अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी का वाद 183 आरटीएक्ट का नहीं होते हुए भी वादी/रेस्पो0 को कब्जा दिलाने की बात कही है जबकि इस तरह का प्रार्थना पत्र स्वयं वादी का नहीं था, किन्तु अधी0न्याया0 ने प्लीडिंग्स के बाहर जाकर अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.03 एवं न्यायालय उप जिला कलक्टर, कोटा का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2002 को निरस्त किया जावें तथा अपीलांट का काउंटर क्लेम डिक्री किया जावें।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 ने बहस में आगे तर्क दिया कि मुझे अपीलांट को छोड़कर सभी ने रतनलाल का पुत्र होना बताया है, श्योपाल की मृत्यु पहले हुई थी उसके पश्चात् मेरे पिता रतनलाल

की मृत्यु हुई थी। मैं स्वयं भी रामनाथ के पास ही रहता था और रामनाथ ने ही मुझे पाल पौष कर बड़ा किया है इस कारण परीक्षण न्यायालय ने श्योपाल के आधे हिस्से पर हमारा अधिकार माना है जो सही है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरांत निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी इसे यथावत् रखा है जो भी विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रामेश्वर/रेस्पो0 संख्या 1 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के समक्ष वर्तमान अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया । विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 रामनाथ/वर्तमान अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया । विचारण न्यायालय ने वादपत्र, जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर वाद में अनुतोष सहित तीन तनकीयात कायम कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2002 के द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया है । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 रामनाथ/वर्तमान अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2003 के द्वारा खारिज की है । विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी ने यह हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

8— बहस के दौरान अपीलांट/प्रतिवादी रामनाथ का मुख्य कथन रहा है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा के साथ काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम न तो स्वीकार किया गया है एवं ना ही खारिज किया है । जबकि विधिनुसार विचारण न्यायालय को

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को निर्णित करना आवश्यक था । यह तथ्य प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी दौराने बहस एवं अपील में उठाया गया था इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने भी इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष काउन्टर क्लेम पेश किया गया है । किन्तु विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.03.2002 को निर्णय पारित करते समय वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया है किन्तु प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया है जबकि विधिनुसार विचारण न्यायालय को अपने निर्णय में काउन्टर क्लेम निर्णित करना आवश्यक था, जो उनके द्वारा नहीं किया जाना प्रकट होता है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी उपरोक्त तथ्य को नजरअंदाज कर अपील खारिज करने मे विधिक त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

9— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2002 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बारां को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बाबत् भी वाद में आवश्यक तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को सुनकर वाद एवं काउन्टर क्लेम पर अपना विधिसम्मत् निर्णय पारित करे । विचारण न्यायालय को यह भी निर्देश दिये जाते है कि चूंकि प्रकरण वर्ष 2001 से लंबित है, अतः प्रकरण में दिन–प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करावें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष